रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219126
CG-DL-E-24042020-219126

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
No. 157] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.060.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 है ।

(2) ये 17 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में विनियम 47 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"47क. लॉक डाउन की अवधि का अपवर्जन

संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप अधिरोपित लॉक-डाउन की अवधि की गणना किसी समापन प्रक्रिया के संबंध में ऐसे किसी कार्य के लिए समय-सारणी की संगणना के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी जिन्हें ऐसे लॉक-डाउन के कारण पूरा नहीं किया जा सका था।"

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /13/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 06, तारीख 6 जनवरी, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053, तारीख 6 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के शासी बोर्ड ने तारीख 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन करने का विनिश्चय किया। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप 25 मार्च, 2020 से घोषित राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन के कारण विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जा सकी । अतः संशोधनकारी विनियमों को 17 अप्रैल, 2020 से प्रभावी करने की दृष्टि से इस टिप्पण के साथ बोर्ड की वैबसाइट पर प्रकाशित किया गया था कि उन्हें भारत के राजपत्र में तब प्रकाशित किया जाएगा जैसे ही भारत सरकार का मुद्रणालय इसे प्रकाशनार्थ स्वीकार करता है । शासी बोर्ड का आशय संशोधित विनियमों को 17 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त करना था।

यह प्रमाणित किया जाता है कि चूंकि संशोधित विनियम हितधारकों को समापन प्रक्रिया में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आदर्श समय-सारणी के संबंध में स्पष्टता प्रदान करते हैं इसलिए इन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020

No. IBBI/2020-21/GN/REG060.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 17th April, 2020.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, after regulation 47, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**Exclusion of period of lockdown.**

47A. Subject to the provisions of the Code, the period of lockdown imposed by the Central Government in the wake of Covid-19 outbreak shall not be counted for the purposes of computation of the time-line for any task that could not be completed due to such lockdown, in relation to any liquidation process.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./13/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020 *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG053, dated the 6th January, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 06 on 6th January, 2020.

Explanatory Memorandum

The Governing Board of the Insolvency and Bankruptcy Board of India decided on 17th April, 2020 to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016. The notification amending the regulations could not be published in the Gazette of India, due to the nationwide lockdown declared by the Central Government w.e.f. 25th March, 2020, in the wake of the outbreak of Covid-19. The amendment regulations were, therefore, published on the website of the Board for it to be effective from the 17th April, 2020, with a note that the same shall be published in the Gazette of India as soon as the Government Press accepts the notification for publication. The intention of the Governing Board was to bring into force the amended regulations with effect from the 17th April, 2020.

It is certified that, since the amended regulations provide clarity to the stakeholders in regard to the model time-line in the completion of various tasks in the liquidation process, no person is being adversely affected by giving retrospective effect.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.24 19:50:25 +05'30'